तत्काल / अति आवश्यक

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

क्रमांक [illegible] / ओएसडी / 17 भोपाल, दिनांक 22 / 11 / 2017

प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
भोपाल म0प्र0 ।

विषयः— म0प्र0 पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य के बाहर कराये गये उपचार के प्रकरणों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बंधी कार्यवाही करने बाबत्।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा स्वंय का एवं आश्रित परिवार के सदस्यों का उपचार राज्य के बाहर कराकर उपचार पर हुये व्यय के प्रकरणों में विभिन्न बीमारियों हेतु म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा राशि तक की कार्योत्तर स्वीकृति सम्बंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रदान कर शेष आधिक्य राशि के प्रकरण सम्बंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों से इस कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त संचालनालय द्वारा शेष आधिक्य राशि की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु शासन की ओर भेजे जाते हैं।

म0प्र0 शासन, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 3 / 92 / 2012 / बी–3 / दो दिनांक 19.08.2013 द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की गई है।

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पुलिस विभाग से प्राप्त प्रकरणों में चिकित्सा शिक्षा विभाग से कार्यवाही न करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारियों एवं परिवार के आश्रित सदस्यों के राज्य के बाहर कराये गये उपचार के चिकित्सा देयकों का निराकरण म0प्र0 पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत पुलिस विभाग द्वारा निराकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कृपया आपके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के राज्य के बाहर कराये गये उपचार के प्रकरणों में म0प्र0 पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देश देने का कष्ट करें।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृष्ठां0 क्रमांक 1562 / ओएसटी / 17 भोपाल, दिनांक 22 / 11 / 2017

प्रतिलिपिः— प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर प्रेषित।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश